राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1795/2008/जोधपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स जिनेश्वर ट्रेडर्स, जोधपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर. आर. सिंघवी, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 23/6/2014

निर्णय

यह अपील वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 29/आरएसटी/जेयू–बी/2007–08 में पारित किये गये आदेश दिनांक 9.6.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से कर निर्धारण अधिकारी के राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 29(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 5.2.2008 को अपास्त किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का ई.पी.ई. शीट्स (एक्सपेन्डेड पोली एथीलीन शीट्स) का आयात कर विक्रय का व्यवसाय है। आलौच्य अवधि वर्ष 2005–06 के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा रूपये 23,45,015/– का आयात कर, इसे पैकिंग मैटेरियल के रूप में 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल करते हुए विक्रय किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.3.2005 की प्रविष्ठि संख्या 106 अनुसार उक्त माल पर 9 प्रतिशत की दर से करदेयता मानते हुए, तदनुसार करारोपण हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब से असहमत होते हुए, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि का कर निर्धारण अधिनियम की धारा 29(6) के तहत दिनांक 5.2.2008 को पारित करते हुए आयातित माल रूपये 23,34,015/– में 15 प्रतिशत लाभांश जोड़ते हुए कुल विक्रय राशि रूपये 26,84,117/– निर्धारित की गई। उक्त राशि में से अस्थाई कर निर्धारण आदेश दिनांक 13.10.2005 में निर्धारित राशि रूपये 2,78,937/– एवं धारा 6(2) के

लगातार.....2

तहत बिक्रीत माल रूपये 10,94,035/— की कमी करते हुए, अवशेष विक्रय राशि रूपये 13,11,145/— पर 5 प्रतिशत की दर से अन्तर कर रूपये 65,557/—, ब्याज रूपये 19,012/— एवं धारा 65 के तहत शास्ति रूपये 1,31,114/— का आरोपण आदेश दिनांक 5.2.2008 से किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.6.2008 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में ई.पी.ई. शीट्स जिसे ई.पी. फॉम भी कहा जाता है, को पैकिंग मैटेरियल मानकर 4 प्रतिशत की कर दर पर विक्रय किया गया, जबकि ई.पी. फॉम पर राज्य सरकार की अधिसूचना 24.3.2005 की प्रविष्ठि संख्या 106 अनुसार 9 प्रतिशत की दर से कर देयता निर्धारित है। जबकि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा माल अधिसूचित दर से कम दर पर विक्रय किये जाने के कारण प्रतिकरापवंचन वृत का क्षेत्राधिकार बनता है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधि अनुसार अन्तर कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया गया था, जिसे अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक त्रुटि की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के विपरीत होने के कारण अपास्त किया जावे।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत ई.पी.ई. शीट्स का नमूना दिखाते हुए कथन किया गया कि ई.पी.ई. शीट्स एवं ई.पी. फॉम एक ही वस्तु न होकर भिन्न वस्तुएं है। ई.पी.ई. शीट्स में लेयर्स होती है और पानी को सोखती है, जबकि ई.पी.फॉम में लेयर्स नहीं होती है और पानी को सोखता है। उनका कथन है कि ई.पी.ई. शीट्स को व्यवहारी द्वारा पैकिंग मैटेरियल के रूप में विक्रय किया जाता है एवं क्रेताओं द्वारा हैण्डीक्राफ्ट पैकिंग मैटेरियल के रूप में ही उपयोग किया जाता है। विद्वान अभिभाषक द्वारा रोहित पोलिप्रोडक्ट्स प्रा0 लि0 के वेट इन्वॉयस की फोटो प्रति प्रस्तुत करते हुए जाहिर किया गया कि इस फर्म का उत्पाद पी.ई. फॉम न होकर पैकिंग मैटेरियल पोली ईथीलिन शीट्स ही है। इसलिए कर निर्धारण अधिकारी का इस फर्म के निदेशक से प्राप्त जानकारी के आधार पर व्यवहारी की ई.पी.ई. शीट्स सामान्य भाषा में पी.ई. फॉम होने का निष्कर्ष निकालना न्यायोचित नहीं माना जा सकता।

लगातार.....3

अतएव व्यापार के सामान्य बोलचाल (common parlance) में ई.पी.ई. शीट्स को पैकिंग मैटेरियल के रूप में जाना जाता है तथा संव्यवहार किया जाता है। इसलिए इसके विक्रय पर पैकिंग मैटेरियल हेतु अधिसूचित दर से ही बिक्री कर देय होगा। उनके द्वारा अपने उक्त तर्कों के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के **लेफ्टि.गवर्नर देहली व अन्य बनाम गणेश फ्लोर मिल्स कं0 लिमिटेड में पारित निर्णय दिनांक 9.1.73 [(1973) 31 STC 354], केरल उच्च न्यायालय के केरल राज्य बनाम वझाकाला एजेन्सीज के निर्णय दिनांक 9.3.2006 [(2007) 8 Vat Reporter 81], राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ के वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रति–करापवचंन, पाली बनाम मैसर्स नारायण दास मुरलीधर पाली की अपील में पारित निर्णय दिनांक 26.8.97 [(1998) 23 RTJS 254] एवं वा. क.अ. विशेष वृत तृतीय जोधपुर बनाम मैसर्स ड्यूरो प्लास्ट एजेन्सीज के निर्णय दिनांक 5.6.2002 [(2002) 1 RTR 253], तथा मैसर्स शुभम ट्रेडर्स बनाम स.वा.क. अ. वार्ड प्रथम वृत अजमेर में पारित निर्णय दिनांक 26.6.2003 [(2003) 2 RTR 472]** का हवाला दिया गया। विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी का कथन है कि अधिसूचित कर दर के स्थान पर कम कर दर 4 प्रतिशत को करापवंचन मानना उचित नहीं है, यह मत भिन्नता की श्रेणी में आता है। इसलिए मात्र निर्वचन के आधार पर करापवंचन वृत द्वारा क्षेत्राधिकार प्राप्त किया जाकर प्रकरण में कर निर्धारण की कार्यवाही विधिसम्मत नहीं है। इनके द्वारा अपने उक्त तर्कों के समर्थन में आयुक्त वाणिज्यिक कर के **परिपत्र क्रमांक प.1/निजीस/परिपत्र/98/199 दिनांक 9.5.98** तथा माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के **रिट पिटीशन संख्या 49550/2004 में पारित निर्णय (2007) 8 वेट रिपोर्टर 76 एवं राजस्थान कराधिकरण के मैसर्स डी.के. वूलन इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 बीकानेर बनाम अतिरिक्त आयुक्त (प्रति–करापवंचन) वा.कर राजस्थान जोधपुर व वा.क.अ. प्रति–करापवंचन बीकानेर में पारित निर्णय दिनांक 19.12.97 [(1998) 23 RTJS 16]** का हवाला दिया गया।

यह भी कथन किया कि विवादित बिन्दु पर कर बोर्ड की खण्डपीठ ने **अपील संख्या 2118/2007 निर्णय दिनांक 21.11.2011 में वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन बनाम राजस्थान ट्रेड एजेंट्स** में निर्णय पारित किया जा चुका है। प्रस्तुत प्रकरण उससे पूर्णतया आच्छादित होने के कारण अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

यह भी कथन किया कि अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति आरोपण से पूर्व कोई नोटिस जारी नहीं किया था, इसलिए अपीलीय अधिकारी ने शास्ति को अपास्त कर विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः इस बिन्दु पर भी अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

लगातार.....4

उभयपक्ष की बहस पूर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के दौरान आयात किये गये ई.पी.ई. शीट्स का विक्रय राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 29.3.2001 एवं दिनांक 22.3.2002 की प्रविष्ठि संख्या 47/45 के अनुसार पैकिंग मैटेरियल के रूप में 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल करते हुए किया गया है, जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त ई.पी.ई. शीट्स को सामान्य भाषा में पी.ई. फॉम कहने के कारण इनके विक्रय पर अधिसूचना दिनांक 24.3.2005 की प्रविष्ठि संख्या 106 अनुसार 9 प्रतिशत की दर से कर देय होना मानते हुए वर्ष 2005–06 का कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध अन्तर कर, ब्याज एवं अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया है।

प्रकरण में मुख्य विवाद बिन्दु यह है कि ई.पी.ई. शीट की बिक्री पर पैकिंग मैटेरियल के रूप में 4 प्रतिशत की दर से कर देय होगा अथवा पी.ई. फॉम के रूप में कर देयता 9 प्रतिशत की दर से होगी। इस सम्बन्ध में कर बोर्ड की समन्वयपीठ (खण्डपीठ) ने **अपील संख्या 2118/2007/जोधपुर वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन, जोधपुर बनाम राजस्थान ट्रेड एजेंट्स में निर्णय दिनांक 21.11.2011** में इस बिन्दु पर पूर्ण विवरण के साथ विवादित वस्तु पर कर दर 4% निर्णीत की है।

प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा ई.पी.ई. शीट्स के रूप में आयात किया गया माल ई.पी.ई. शीट्स, फॉम रोल, फॉम शीट्स व फॉम कटिंग बिलों में अंकित करते हुए विभिन्न एक्सपोर्ट एवं हैण्डीक्राफ्ट फर्मों को पैकिंग मैटेरियल के रूप में 4 प्रतिशत कर देयता के साथ विक्रय किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मैसर्स रोहित पोली प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0 बगरू के निदेशक से प्राप्त सूचना के आधार पर ई.पी.ई. शीट्स को ही सामान्य भाषा में पी.ई. फॉम शीट्स माना गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की ई.पी.ई. शीट्स को पी.ई. फॉम मानने का इसके अलावा कोई अन्य ठोस आधार अपने आदेश में अंकित नहीं किया गया है। विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रोहित पोली प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0 बगरू की वेट इन्वॉयस के अनुसार इस फर्म द्वारा भी ई.पी. ई. शीट्स से पैकिंग मैटेरियल का विनिर्माण किया जाता है। अतः इस फर्म के उक्त वेट इन्वॉयस से ई.पी.ई. शीट्स के पैकिंग मैटेरियल होने की प्रथम दृष्टया पुष्टि होती है। इसी प्रकार कर निर्धारण अधिकारी के रेकार्ड पर उपलब्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी के क्रय बिलों में आयातित माल का विवरण EPE Sheets, Expanded Cellular EPE Sheets & Expanded Polystyrene अंकित किया हुआ है। व्यवहारी

लगातार.....5

द्वारा उक्त माल का विक्रय मुख्यतः आर्ट एक्सपोर्ट क्राफ्ट एवं हैण्डीक्राफ्ट फर्मों को किये जाने तथा कुछ बिलों में अंकित फॉम रोल को छोड़कर अधिकतर बिलों में माल का विवरण ई.पी. शीट, रोल अथवा कॉर्नर ही अंकित होने के आधार पर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विक्रय की गई ई.पी.ई. शीट्स का क्रेताओं द्वारा पैकिंग मैटेरियल के रूप में उपयोग किया जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार विक्रेता एवं क्रेता के मध्य ई.पी.ई. शीट्स का संव्यवहार प्रथम दृष्टया पैकिंग मैटेरियल के रूप में होने के कारण ई.पी.ई. शीट्स को व्यापार की सामान्य भाषा में पैकिंग मैटेरियल ही माना जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उल्लेखित **(1973) 31 STC 354, (2007) 8 Vat Reporter 81, (1998) 23 RTJS 254, (2002) 1 RTR 253 एवं (2003) 2 RTR 482** न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा आलौच्य अवधि में विक्रय की गई ई.पी.ई. शीट्स पैकिंग मैटेरियल की श्रेणी में आने के कारण इसके विक्रय पर पैकिंग मैटेरियल हेतु अधिसूचना दिनांक 29.3.2001 एवं दिनांक 22.3.2002 द्वारा अधिसूचित कर दर 4 प्रतिशत से ही बिक्री कर देय होगा। अतः इस सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 2005–06 के दौरान ई.पी.ई. शीट्स की पैकिंग मैटेरियल के रूप में 4 प्रतिशत की दर से की गई बिक्री के प्रस्तुत वार्षिक बिक्री विवरण प्रपत्रों के आधार पर अस्थाई कर निर्धारण आदेश दिनांक 13.10.2005 को सम्पादित किया गया, जिसमें अन्तर कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया गया, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 2.5.2007 से स्वीकार करते हुए आरोपित कर, ब्याज व शास्ति को अपास्त किया गया है। तत्पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ई.पी.ई. शीट्स की बिक्री को पी.ई. फॉम की बिक्री मानकर इसकी बिक्री पर कर देयता 9 प्रतिशत की दर से होने के आधार पर 4 प्रतिशत की दर से किये गये करारोपण को करापवंचन मानते हुए क्षेत्राधिकार प्राप्त किया जाकर पुनः कर निर्धारण वस्तु के श्रेणीकरण के निर्वचन की मत भिन्नता की श्रेणी में आता है। मत भिन्नता के आधार पर करापवंचन के आरोप में शास्ति अन्तर्गत धारा 65 आरोपित नहीं की जा सकती, जबकि समस्त संव्यवहार का लेखा–पुस्तकों में इंद्राज है।

उक्त विवेचन के आधार पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि के दौरान विक्रय की गई ई.पी.ई. शीट्स को पैकिंग मैटेरियल की श्रेणी में मानते हुए पारित कर निर्धारण अधिकारी आदेश को अपास्त किये जाने में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है।

लगातार.....6

परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करते हुए अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.6.2008 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य

(जे. आर. लोहिया)
सदस्य

23/06/14